PDF Compressor Free Version

संशोधित
परिशिष्ट-व

राजकिय विभागो/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो/शालाओ इत्यादि के लिए राजस्थान भू राजस्व संस्थाओ स्कूलो,कालेज,चिकित्सालय,धर्मशालाओ,तथा सार्वजनिक उपयोग मे अन्य भवन निर्माणार्थ अन्धिपासित राजकिय कृषि भूमि का आंवटन नियम 1963

1.प्रार्थी विभाग का नाम वन विभाग
2.आवंटन का प्रयोजन (शाला होने की स्थिति मे स्तर अंकित करे) अहफरी परियोजना के अन्तर्गत प्रशासनिक भवन
3.क्या इस प्रयोजन विशेष के लिए पूर्व मे भूमि आंवटन हुआ है यदि हा तो इसका विवरण भूमि के बारे में कोई परिवर्तन है नहीं
4.क्या पूर्व मे आंवटित भूमि का समुचित उपयोग किया जा चुका है?
5.प्रस्तावित प्रयोजन के लिए वर्तमान मे क्या व्यवस्था की हुई है? भूमि पर पेड़ पौधे खड़े हैं
6.विषयान्तर्गत 1963 के नियम 2 के तहत निर्धारित मानदण्ड? X
7.यदि विभाग के द्वारा कोई मानदण्ड निश्चित किये गये है तो उसका विवरण।
8.मानदण्डो से अधिक भूमि चाहे जाने पर अथवा कोई मानदण्ड निर्धारित नही होने पर प्रस्तावित क्षेत्रफल का औचित्य।
9.आंवटन हेतु चाही गयी भूमि का विवरण–
(1) तहसील का नाम छीपाबड़ौद
(2) ग्राम का नाम पीपलपानी की
(3) खसरा नम्बर 56/7-13 सम्पूर्ण 61/1-06 सम्पूर्ण 120/0-06 सम्पूर्ण 121/1-06 सम्पूर्ण 62-के/13-07 12-01 हे0
(4) भूमि की किस्म असिंचित
(5) खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल किते 5 कुल रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा
(6) प्रस्तावित क्षेत्रफल 32 बीघा 12 बिस्वा
(7) जमाबन्दी,खसरा व नक्शे की प्रति सलंग्न है हाँ/नही
(8) प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र की है अथवा नही (पटवारी की मोका रिर्पोट संलग्न करे)
(10) यदि प्रस्तावित भूमि चारागाह है तो– नहीं
(अ) पशु संख्या नहीं
(ब) प्रस्तावित आंवटन के पश्चात ग्राम मे उपलब्ध चारागाह भमि हां
(स) पशुओ के अनुपात मे चारागाह भूमि पर्याप्त है हां
(द) यदि नही तो चारागाह की वैकल्पिक व्यवस्था
(11) भूमि नगर पालिका मे स्थित है/ग्राम पंचायत मे (नाम लिखे) ग्राम पंचायत क्षेत्र (अमलावदा आली)
(12) स्थानिय निकाय का निरापत्ति प्रमाण पत्र एव प्रस्ताव की प्रति संलग्न करे
(13) नगरीय क्षेत्र मे स्थित होने पर नगर नियोजन विभाग की प्रति संलग्न करे।
(14) क्या नगर का मास्टर प्लान बन चुका है? नहीं
(15) क्या प्रस्मावित प्रयोजन के लिए विभाग को प्रशासनिक वित्तिय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है?
(16) यदि स्वीकृति प्राप्त नही हुयी है तो भूमि पर निर्माण किस प्रकार होगा?
(17) यदि निमार्ण मे पूर्व मे हो चुका है तो अंकित करे।
(18) पूर्व मे सहमति नही प्राप्त करने का कारण
(19) जिला कलक्टर द्वारा की राय

नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। वनविभाग की सहमति संलग्न है

तहसीलदार (मू0अ0)
तहसीलदार
तहसील छीपाबड़ौद (बारां)

पटवारी
पटवार मण्डल अमलावदाआली
तह. छीपाबड़ौद जिला बारां
22-7-19

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
छीपाबड़ौद जिला-बारां

PDF Compressor Free Version

आवंटन चैक लिस्ट

1	आवंटन करने वाले जिले का नाम	बारां
2	आवेदक संस्था का नाम/पता व विवरण	×
3	आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र व अन्य विवरण	×
4	संस्था का गत 3 वर्ष का आय–व्यय का विवरण	×
5	संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत एवं आर्थिक संसाधनों का विवरण	×
6	क्या उक्त संस्था को उक्त क्षेत्र से अनुराग है? उसका विवरण	×
7	संस्था को भू–आवंटन का प्रयोजन एवं संबन्धित विभाग की अभिशंषा/अभिमत एवं मान्यता	अटलबारी परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित वन विभाग की भूमि के उपयोग भूमि परिवर्तन हेतु
8	संस्था द्वारा Norms से अधिक भूमि चाही जाने पर उसका औचित्य	
9	क्या संस्था को पूर्व में कभी इस जिले में भूमि आवंटित की गई थी ? यदि हां तो विवरण दें।	क्रमांक-एफ 4(5)/ग राजस्व/नि 324-99 दिनांक 15 मई 2018
10	परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा ?	सामूहिक
11	संस्था द्वारा चाही गई भूमि का विवरण– राजस्व ग्राम का नाम, खसरा, किस्म, क्षेत्रफल गत जमाबंदी व राजस्व भवरो	नाकला सलपनाई, खसरा 56 7-13 81 1-01 62 13-07 120 0.06 121 11-06
12	संस्था को आवंटन की जाने वाली भूमि की प्रस्तावित दर	×
13	आवेदक द्वारा चाही गई रियायत का विवरण	×
14	प्रस्तावित भूमि की कुल कीमत	× नियमानुसार
15	चाही गई भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर	× नियमानुसार
16	क्या प्रस्तुत भूमि बाबत् वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है ? या स्थगन आदेश तो नहीं है?	नहीं
17	क्या भू–उपयोग परिवर्तन होना है? भूमि की श्रेणी (ग्रामीण, नगरीय, वनीय, भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग से दूरी)	15 km
18	क्या भूमि पर निर्माण हो चुका है या पूर्व से ही निर्माण है ?	×
19	भूमि पर अतिक्रमण हो तो विवरण।	×
20	क्या भूमि कमाण्ड क्षेत्र में है ?	
21	भूमि आवंटन के प्रस्ताव के साथ संलग्न रिकार्ड जमाबंदी राजस्व नक्शा– तहसीलदार की रिपोर्ट व अन्य आवश्यक रिपोर्ट	सलपनाई
22	क्या प्रस्तावित भूमि चारागाह है ? यदि हां तो ग्राम पंचायत की राय/अभिशंषा संलग्न है या नहीं ? चारागाह भूमि के क्षतिपूर्ति के प्रस्ताव	नहीं
23	यदि संबन्धित भूमि नगरीय क्षेत्र या पैरीफेरी क्षेत्र में है तो क्या विकास की एनओसी संलग्न है?	नहीं
24	भूमि नगरीय क्षेत्र में होने पर नगर नियोजन विभाग की राय	नहीं
25	क्या मास्टर प्लान बन चुका है तो क्या भू–उपयोग परिवर्तन मास्टर प्लान के अनुरूप है अथवा भू–उपयोग परिवर्तन की शर्त के साथ भू–आवंटन किया जाना है।	×
26	प्रस्तावित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की तो नहीं है	×
27	किस नियम/परिपत्र के अन्तर्गत आवंटन प्रस्तावित किया गया है?	LR Act 1956 की दफा 92

उपरोक्त सभी बिन्दुओं के संबन्ध में तथ्यों का सत्यापन कर सन्तोषजनक संतुष्टि कर ली गई है एवं तदानुसार प्रकरण में भूमि आवंटन करने की अभिशंषा की जाती है।

22-7-19

2-8-19
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
छीपाबड़ौद जिला-बारां

तहसीलदार (भू०अ०)
तहसील छीपाबड़ौद (बारां)

(प्रभारी अधिकारी)

PDF Compressor Free Version

पटवारी रिपोर्ट

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां के

मुताबिक आदेश क्रमांक - एफ 4(5)(26) राजस्व/18/3251-3375

15 मई/2018 को प्राचीसत्रा अभियन्ता एवं तहसीलदार बारां द्वारा अहमदी लघु सिंचाई परियोजना की नहरों के निर्माण में आने वाली ग्राम अहमदा, अहमदी व बजरंगढ़ तहसील किशनगंज की 5.23 हे० वन भूमि के एवज में गैर वनभूमि आंवटित किये जाने हेतु मांग करने पर तहसीलदार साहब छीपाबड़ोद द्वारा प्रस्तावित एवं उपवन संरक्षक बारां के पत्रक्रमांक (एफ/) प सी.ए./3.व.स./2017-18/8359 दि० 19.4.2018 से प्राप्त तथ्यों के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत निम्नलिखित भूमि वन विभाग की वाजिबी भूमि की एवज में रेत अपार्ट की गई है ग्राम दीपसूरियाखेड़ी ख.न. 56 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा मजरी ख.न. 62 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा ख.न. 120 रकबा 8 बिस्वा मजरी ख.न. 121 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा मजरी किता 4 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा नाका 563 के अहमदी लघु सिंचाई परियोजना तहसील किशनगंज नहर निर्माण में वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु विभागीय स्तर से वन विभाग के नाम रेत अपार्ट करने के आदेश हुए एवं नामा स्वीकार किया जा चुका है परन्तु 1 बीघा 6 बिस्वा में पक्के स्वरूप ख.न. 62 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा है परन्तु 1 बीघा 6 बिस्वा कम करते हुए उसकी एवज में ख.न. 61 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा प्रस्तावित कर क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव श्रीमान की सेवा में पेश है।

संलग्न क्षतिपूर्ति प्रस्ताव की नकलें

एवं आदेश श्रीमान जिलाकलक्टर बारां

क्रमांक एफ-4(5)(26)राजस्व/18/7941-95

पटवारी
पटवार मण्डल, अमोदा/आलमगंज
तह. छीपाबड़ोद जिला बारां (राज.)
22-7-19

PDF Compressor Free Version

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

क्रमांक–एफ 4(5)(26)राजस्व/18/ 3291-99 दिनांक 15 मई, 2018

–:आदेश:–

अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त, बारां द्वारा अहमदी लघु सिंचाई परियोजना की नहरों के निर्माण में आने वाली ग्राम–अहमदा, अहमदी व बजरंगढ, तहसील किशनगंज की 5.23 है0 वन भूमि के एवज में गैर वन भूमि आवंटित किये जाने हेतु मांग करने पर तहसीलदार, छीपाबडोद द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र क्रमांक/एफ( )फ.सी.ए/उ.व.स./2017–18/8359 दिनांक 19.04.2018 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत निम्नलिखित भूमि वन विभाग को वानिकी भूमि की एवज में सेट–अपार्ट की जाती है:–

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न0	रकबा (बीघा बिस्वा में)	किस्म
1	छीपाबडोद	पीपल्या चौकी	56	7.00 बीघा 13 बिस्वा	मगरी
			62	13.00 बीघा 7 बिस्वा	मगरी
			120	06 बिस्वा	मगरी
			121	11.00 बीघा 06 बिस्वा	मगरी
			कुल किता 4	कुल 32.00 बीघा 12 बिस्वा	

नियमानुसार रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

Sd
(डॉ. एस. पी. सिंह)
जिला कलक्टर
बारां

क्रमांक–एफ–4(5)(26)राजस्व/18/ 3291-99 दिनांक 15 मई, 2018

प्रतिलिपि:–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. उप वन संरक्षक, बारां।
2. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा अनुभाग, कलैक्ट्रेट, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त, बारां
4. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड तृतीय, बारां
5. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद, किशनगंज।
6. तहसीलदार, छीपाबडोद, को भेजकर लेख है कि आवंटित भूमि का अमल–दरामद करें एवं संबंधित विभाग को दखल दिया जाकर दखनामे की एक प्रति इस कार्यालय को भिजवावे।
7. तहसीदार, किशनगंज को नियमानुसार कार्यवाही हेतु।
8. रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर
बारां

कार्यालय तहसीलदार तहसील छीपाबड़ौद
क्रमांक/भू0अ0/ 1334 दिनांक–1/6/18
मूल ही [illegible]
[illegible]

तहसीलदार
तहसील छीपाबड़ौद

PDF Compressor Free Version

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत्त, बारां

Phone & Fax No. 07453-237060 E-Mail : sewridhoran@gmail.com

क्रमांक / जस / वृत्त / तक. / 2019 / 1589 दिनांक : 17-7-19

बैठक कार्यवाही विवरण

अहमदी लघु सिंचाई परियोजना की दाईं मुख्य नहर एवं माइनर के रेखाकरण में आने वाली वन भूमि (5.232 हैक्टेयर) के एवज में वन विभाग को प्रत्यावर्तन (सेट-ए-पार्ट) की गई ग्राम पीपल्दा चौकी, तहसील छीपाबड़ौद के खसरा नं. 58 एवं 62 में अतिक्रमण पाये जाने पर इसके समाधान हेतु पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार दिनांक 16.07.2019 को प्रातः 05.00 बजे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्न अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित रहे :

1. श्री इन्द्र सिंह राव, जिला कलक्टर महोदय, बारां
2. श्री एम.सी.शर्मा, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत्त बारां
3. श्री महेश गुप्ता, उप वन संरक्षक बारां
4. श्री रामावतार मीणा, उप जिला कलक्टर, छीपाबड़ौद
5. श्री गणेश कुमार जांगिड़, सहायक अभियंता, जल संसाधन उपखण्ड भवरगढ़
6. श्री पन्नालाल रेगर, तहसीलदार, छीपाबड़ौद
7. श्री अनिल शर्मा, पटवारी, अमलावदा आली

तहसीलदार, छीपाबड़ौद ने बताया कि गत बैठक दिनांक 05.07.2019 में दिये गये निर्देशों की पालना में दिनांक 07.07.2019 को ग्राम पीपल्दा चौकी के खसरा नं. 61 व 62 का वन विभाग, जल संसाधन एवं राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। खसरा नं. 62 में से वन विभाग को सेट-ए-पार्ट की गई भूमि 13 बीघा 07 बिस्वा में से 01 बीघा 03 बिस्वा भूमि में कुएं आदि एवं 03 बिस्वा भूमि में प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत निर्मित मकान पाया गया। इस प्रकार खसरा नं. 62 में मात्र 12 बीघा 01 बिस्वा ही सेट-ए-पार्ट योग्य पाई गई, शेष 01 बीघा 06 बिस्वा भूमि खसरा नं. 61 में से दी जा सकती है, जिसके लिए उप वन संरक्षक, बारां द्वारा सहमति जताई गई।

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा तहसीलदार छीपाबड़ौद को संशोधित प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर में प्रस्तुत करने एवं खसरा नं. 58 में हो रहे अस्थाई अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये गये।

बैठक सहन्यवाद समाप्त हुई।

(एम.सी. शर्मा)
अधीक्षण अभियंता,
जल संसाधन वृत्त, बारां

क्रमांक / जस / वृत्त / तक. / 2019 / 1590-94 दिनांक : 17-7-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, बारां।
2. उप वन संरक्षक, बारां।
3. उप जिला कलक्टर, छीपाबड़ौद।
4. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड तृतीय बारां।
5. तहसीलदार, छीपाबड़ौद।

अधीक्षण अभियंता,
जल संसाधन वृत्त, बारां

आधिक नकल

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26(बी)

ग्राम पीपल्या चौकी | क्षेत्रफल | वास्तविक सम्वत 20..... | पृष्ठ संख्या .....

तहसील छीपाबड़ | पटवार हल्का अमलावदा आगरी | भू.अभि.नि. क्षेत्र मोकमपुरा

सम्वत 2073-2076 | जिला बांरा | दिनाङ्क 19/7/2019

खेवट (खतौनी) संख्या नया	पुराना	भूमि धारक का नाम	काश्तकार का नाम, पिता, जाति तथा निवास स्थान के पता सहित तथा कृषिकाल	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	सिंचाई के साधन	लगान दर	लगान रकम	नामान्तरण आदेश नं. तथा तारीख	भूमि ब्यौरा विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अन्तरित हो	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	राज. सरकार	पहाड़ी तथा पर्वत (चारागाह हेतु)	56	7.13	मगरी				नामा. नं. 563 / 17.06.19 से ख.नं. 56 / 7.13, 62 / 13.07		
				61	1.06	मगरी						
				62	13.07	मगरी						
				120	0.06	मगरी				120 / 0.06, 121 / 11.06 किता 4 कुल रकबा 32.12 बीघा भूमि जिसकी किस्म मगरी से वन विभाग के नाम सेट अपर करने का आदेश हुआ		
				121	11.06	मगरी						
		नोट :- राजकार्य हेतु निशुल्क दी गई										

पटवारी
पटवार मण्डल अमलावदा आगरी
तह. छीपाबड़ोद जिला बारां (राज.)
22-7-19

रस्तोगी, अजमेर फोन : 2632154

Code No. : J-101A

PDF Compressor Free Version

नकल नक्शा ट्रेस
मौजा- पीपलखेड़ी
तहसील- छीपाबड़ौद
डिवीजन- कोटा
राजस्थान
सम्वत- 2012 वि.
सन- 1955-55 ई.

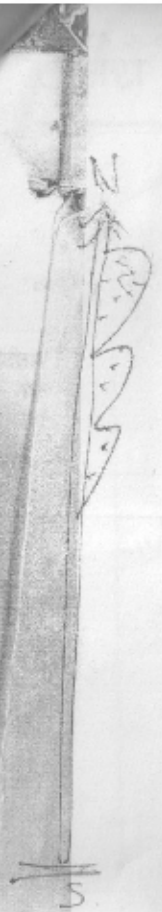

पटवारी

PDF Compressor Free Version

नकल नक्शा ऐस-
मौजा- चीपलया चौधरी
तहसील- दीपाबडोद
डिवीजन- कोटा
राजस्थान
सम्वत- २०१२ वि.
सन- १९५५-५६ ई.

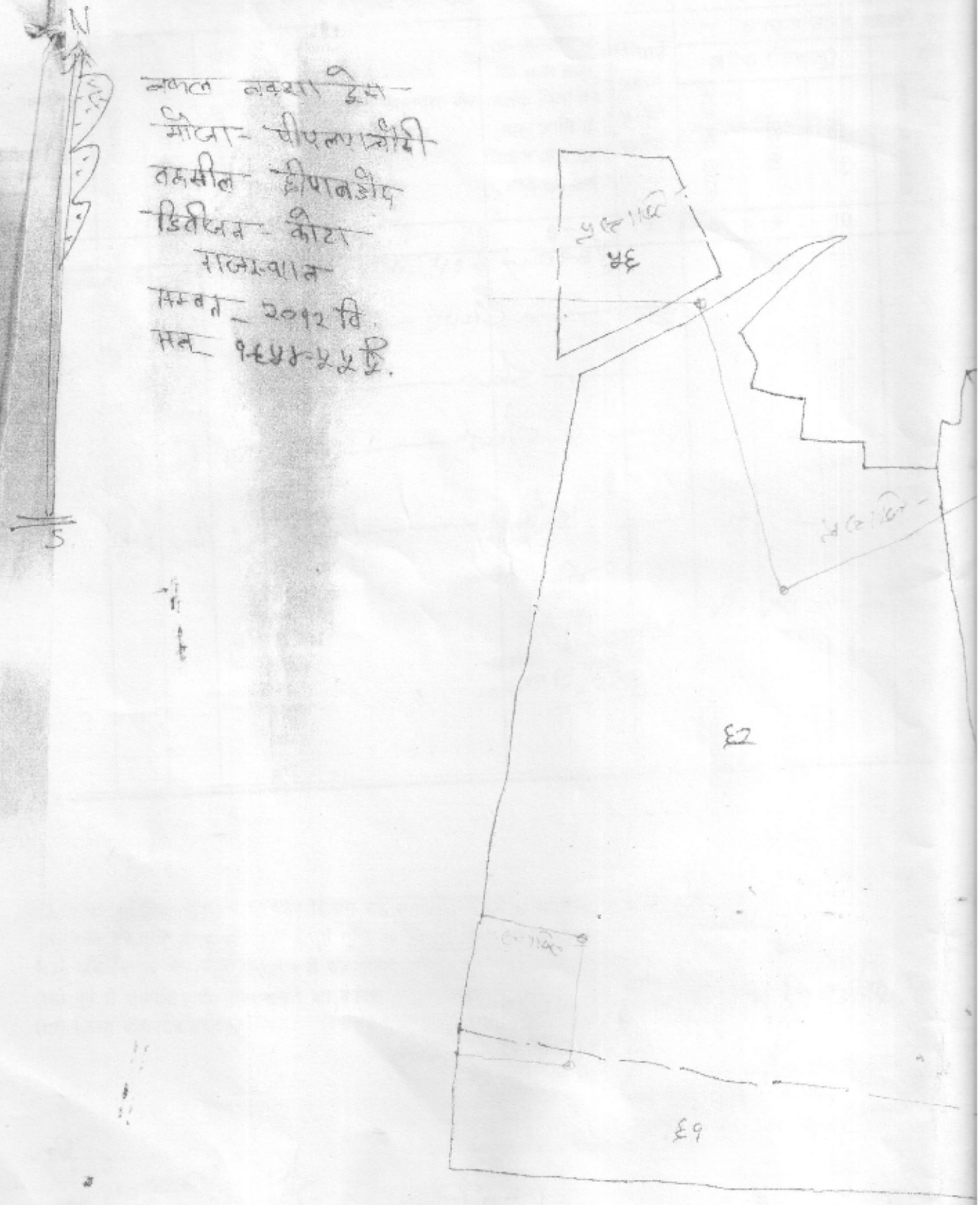

(केवल नकल के उपयोग हेतु)

नकल

खसरा गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) ग्राम पीपलपानी तहसील श्रीपाल्लो जिला बारां

जमाबन्दी के अनुसार प्रविष्टियां							सम्वत् 2066 को गिरदावरी के अनुसार प्रविष्टियां									
							क्षेत्रफल सहित फसलों का ब्यौरा						एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल			
							खरीफ (सियालु)			रबी (उन्हालु)						
नाम खनिज खेतों की संख्या	क्षेत्रफल	मृदा भूमि वर्ग	जमाबन्दी की संख्या	प्रविष्टियों सहित खातेदार गैर खातेदार का नाम	उप-काश्तकार का नाम तथा उसके पिता का नाम जाति व निवास और खेती करने की शर्त	सिंचाई स्त्रोत तरीके सहित	फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	न जोते गये क्षेत्रफल ब्यौरा	टिप्पणियां तथा अधिकारों, कब्जों किराये तथा राजस्व आदि में परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	6113	अग्रणी	1	पहाड़ी तथा पठार (सियालु)			—	—	—	—	—	—	—	—	अग्रणी 6113	
89	919	अग्रणी	1	उपरोक्त			—	—	—	—	—	—	—	—	अग्रणी 919	
92	9312	अग्रणी	1	उपरोक्त			—	—	—	—	—	—	—	—	9312	
920	19	अग्रणी	1	उपरोक्त			—	—	—	—	—	—	—	—	अग्रणी 19	
929	9919	अग्रणी	1	उपरोक्त			—	—	—	—	—	—	—	—	अग्रणी 9919	

[illegible] 22-2-09

[illegible]